

अनुदान संख्या 22 – रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	2,46,00	2,30,85	-15,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-	108850,84,00	101772,29,86	-7078,54,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2078,16,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के प्रभारित अंश में, ₹ 6.00 लाख का विनियोग निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
1. In the *charged* portion of the grant, *appropriation* of ₹ 6.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.
2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-
2. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2071”	Major Head “2071”			
पेंशन तथा अन्य	Pensions and Other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits			
मू.	O.	10885084.00		
		10677268.00	10177229.86	-500038.14
पु.	R.	-207816.00		

(I) “रक्षा – थल सेना” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” – ₹967127.42 लाख की बचत (₹9284446.29 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने एवं ₹500000.00 लाख के समयोजन किए जाने के कारण हुई।

(खा) “पुरस्कार” – ₹1754.31 लाख की बचत (₹3453.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित यूनिट द्वारा पदकों/पुरस्कारों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें “रक्षा” – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) “थल सेना – छुट्टी नकदीकरण” – ₹7904.66 लाख का अधिक व्यय (₹310224.71 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(II) “नौ सेना” –

(का) “छुट्टी नकदीकरण” – ₹1748.21 लाख का अधिक व्यय (₹22844.36 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में अधिक छुट्टी होने के कारण हुआ।

(खा) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” – ₹75314.10 लाख का अधिक व्यय (₹460792.64 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(III) “वायु सेना” –

(का) “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” – ₹165830.23 लाख का अधिक व्यय (₹740402.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(I) Under “Defence – Army” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Pension and other Retirement Benefits”- saving of ₹967127.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9284446.29 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and an adjustment of ₹500000.00 lakhs.

(B) “Rewards”- saving of ₹1754.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3453.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards medals/awards by the concerned units.

3. The above savings were partly offset by excess under “Defence” - under the following heads:-

(I) “Army – Leave Encashment” – excess of ₹7904.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹310224.71 lakhs); and

(II) “Navy”-

(A) “Leave Encashment” - excess of ₹1748.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22844.36 lakhs).

Excess under the above two heads was due to more leave at credit of retirees.

(B) “Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹75314.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460792.64 lakhs); and

(III) “Air Force” –

(A) “Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹165830.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹740402.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पेंशनरों की संख्या में पेंशनों/वृद्धि में राहत की वृद्धि दर संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards increased rate of relief in pensions/growth in number of pensioners.

(खा) “छुट्टी नकदीकरण” – ₹9995.48 लाख का अधिक व्यय (₹62821.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खातों में अधिक छुट्टी होने की वजह से पीसीडीए/सीडीए द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) “Leave Encashment” - excess of ₹9995.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62821.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by PCDAs/CDAs owing to more leave at credit of retirees.
